

01
24/4/2023

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

दिनांक
25-4-23


क्रमांक : प्र.गा.स./2023/01 प्रशासन गांवों के संग-2023 पत्र दिनांक : 24/4/2023

निर्णय:-

20/2023

प्रार्थी श्री काली मोहन, पैंपा पुत्र/पुत्री/पत्नी पुनियां लालराम
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम स्वारिया पटवार मण्डल दीनासर
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 से 2074 के खाता संख्या 06 में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति काली, पैंपा पुनियां लालराम अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से मोहन, पैंपा पुनियां लालराम अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का दीनासर से करवाने पर पटवारी ने काली, पैंपा के
बजाय मोहन, पैंपा करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में काली, पैंपा
के बजाय मोहन, पैंपा करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम स्वारिया
के खाता संख्या 06 (2071-74 से 2074) में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति काली, पैंपा
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से मोहन, पैंपा दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।


उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

